

प्रेषक,

आर०पी०सिंह,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक(नरेगा),

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी, 2010

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण(Social Audit)/निगरानी समीक्षा की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3124/38-7-2009-200 एनआरईजीए/09 दिनांक: 14-10-2009 पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)/निगरानी समीक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तरीय टीम हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल के स्थान पर कक्षा-8(मिडिल पास) रखने का निर्णय लिया गया है।

कृपया शासनादेश संख्या-3124/38-7-2009-200एनआरईजीए/09 दिनांक: 14-10-2009 में ग्राम पंचायत स्तरीय टीम हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल के स्थान पर कक्षा-8(मिडिल पास) पढ़ा जाय।

2- शासनादेश संख्या-3124/38-7-2009-200 एनआरईजीए/09 दिनांक: 14-10-2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आर०पी०सिंह)
अनुसचिव।

संख्या- 442 (1)/38-7-2010 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।